

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 46/2026

अनवान :

1. बेगराज पुत्र गोविन्द जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. बद्रीप्रसाद पुत्र गोविन्द जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. साहबराम पुत्र गोविन्द जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादीगण

बनाम

1. गोविन्द पुत्र खिराज जाति मेघवाल निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानुप्रताप सिंह बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादी श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं० 415/53 के ख०सं० 541/87 की 6.8930 है० बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 गोविन्द पुत्र खिराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 गोविन्द अकेले की बजाय वादीगण बेगराज, बद्रीप्रसाद, साहबराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.05.2026... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(निधि उड़सरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

